फर्द अहकाम

अपील संख्या 225आरटीए/जोधपुर/007/2017
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2017/00149)

सांगसिंह बनाम दुर्गसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी
15.10.18	पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। जिनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस सुने एक माह से अधिक समय चुका है, अतः न्यायहित में अधिवक्तागण की पुनः बहस सुनी गयी। राजस्व अभियान कैम्प ढाढणिया के दौरान विद्वान सहायक जिलाधीश बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/89/147 में दिनांक 27 दिसम्बर 1988 एवं 28 फरवरी 1989 के खिलाफ अपीलार्थी की ओर से यह अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत पेश की गयी है। संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व कैम्प ढाढणिया के दौरान सहायक जिलाधीश के समक्ष दुरगसिंह व रूपसिंह पिसरान मंगलसिंह की ओर से एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम जुडिया स्थित आराजी खसरा संख्या 383,749, 373, 399, 765, 370, 371, 372 कुल रकबा 108 बीघा 6 बिस्वा अपनी एवं प्रतिवादीगण आईदानसिंह व सांगसिंह, हरीसिंह, इन्द्रसिंह खातेदारी की होना जाहिर करते हुए वादीगण का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी आईदानसिंह का 1/3 हिस्सा होना बताया और बकाया प्रतिवादीगण सांगसिंह, हरीसिंह एवं इन्द्रसिंह का उक्त आराजियात में कोई हिस्सा नहीं रहना इस आधार पर बताया कि उन्हें उसी ग्राम के अन्य खसरा संख्या 361 व 360 की 75 बीघा 13 बिस्वा भूमि दे दी गयी है। उक्त प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी रोज स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र की पुश्त पर ही आदेश अंकित कर दिया गयां और उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 28 फरवरी 1989 को नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गयां। उक्त आदेशों के खिलाफ आलौच्य अपील दिनांक 30 जनवरी 2017 को पेश की गयी है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत	

15/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

अपील संख्या 225आरटीए/जोधपुर/007/2017
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2017/00149)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी

एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का अनुरोध किया गया।

दिनांक 27 जुलाई 2017 को प्रार्थी जवरसिंह पुत्र दुर्गसिंह की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश एक नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर बताया गया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक से तीन परस्पर एक ही परिवार के सदस्य है, एक-दूसरे से भलीभांति परिचित है, रेस्पो. का देहान्त आलौच्य अपील पेश करने के पूर्व ही हो चुका था, प्रार्थी रेस्पो. संख्या एक का पुत्र है और इस मामले में एबीव्ड पक्षकार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थनापत्र के साथ रूपसिंह का मृत्यु प्रमापत्र पेश किया, जिसके अनुसार रूपसिंह का देहान्त दिनांक 13 जून 2017 को हुआ।

दिनांक 27 जुलाई 2017 को अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर रेस्पो. संख्या एक दुर्गसिंह के रेस्पो. कायममुकाम को पत्रावली पर लिये जाने व रेस्पो. संख्या तीन का नाम तर्क किये जाने का निवेदन किया।

अपीलार्थी की ओर से दिनांक 16 जुलाई 2018 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी पेश कर स्वयं को ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होना जाहिर करते हुए रेस्पो. संख्या एक व तीन मृतक व्यक्तियों के खिलाफ अपील पेश कर दिया जाना जाहिर किया, और अब उनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थनापत्रों बावत पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

अपील संख्या 225आरटीए/जोधपुर/007/2017
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2017/00149)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी

ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है जिसे कानूनी बारीकियों का ज्ञान नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत किये जाने के समय अपने अधिवक्ता को समग्र वस्तुस्थिति बता नहीं पाया और इस कारण अपील मृतक व्यक्तियों के खिलाफ पेश कर दी गयी। न्यायहित में ऐसे मामलों में मृतक व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को बतौर कायममुकामान अभिलेख पर लिया जाकर मामले का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिये, तकनीकी तौर पर प्रकरण खारिज किया जाकर पक्षकार के लिए न्याय का रास्ता अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये। अपनी बहस के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान 2007 आरआरडी 603, 2011(2) आरआरटी 1326 एवं 2007 आरआरडी 88 की ओर आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त 2010(1) 312 एवं 1994(1) आरएलडब्ल्यु 547 प्रस्तुत कर विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों को स्वीकार करते हुए अपील मेरिट पर निर्णित किये जाने की कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

जबाब में रेस्पो.-प्रार्थी पक्ष की ओर से 2017(2) आरआरटी 1047, 2010(1) आरआरटी 118, 2016(2) आरआरटी 1200 एवं 2001 आरआरडी 316 उद्धरित करते हुए कथन किया कि मृतक व्यक्तियों के खिलाफ पेश अपील चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जावे। अपीलाण्ट एवं रेस्पो. एक ही परिवार के सदस्य है, अतः रेस्पो. के देहान्त की अपीलाण्ट को जानकारी नहीं हो, यह मानने योग्य नहीं है। साथ ही रेस्पो. संख्या एक के वारिस के पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र भी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्युत्तर में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील

EW 15/7

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फर्द अहकाम

अपील संख्या 225आरटीए/जोधपुर/007/2017
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2017/00149)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी
	पेश किये जाने के समय रेस्पो. संख्या दो जीवित था, जैसा कि प्रस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाणपत्र से स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि रेस्पो. का पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश एक नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है, (जिसके बाबत अपीलार्थी को कोई एतराज नहीं है) तो उस स्थिति में रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान रिकार्ड पर आ जाने, वक्त प्रस्तुत करने अपील रेस्पो. संख्या दो जीवित होने आदि कारणों से अपील खारिज किये जाने का कोई न्यायोचित कारण नहीं रहता है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन करने एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में अपीलार्थी की ओर से रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान को अभिलेख पर लिये जाने एवं रेस्पो. संख्या दो का नाम डिलीट किये जाने का निवेदन किया गया है। किन्तु रेस्पो. संख्या तीन के वारिसान बाबत कुछ भी वर्णित नहीं किया गया है। बाद में अपीलार्थी की ओर से धारा 151 व 152 सीपीसी का जो प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, उसमें रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान व रेस्पो. संख्या तीन के कायममुकामान का वर्णन किया है। रेस्पो. संख्या एक के वारिसान की ओर से पक्षकार बनने हेतु जो प्रार्थनापत्र पेश किया गया, उसके साथ रेस्पो. संख्या एक का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश करने की बजाय रेस्पो. संख्या दो का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है।	

Sd/-
15/1

फर्द अहकाम

अपील संख्या 225आरटीए/जोधपुर/007/2017
(कंप्युटर प्रकरण संख्या 2017/00149)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी की गयी

इस प्रकार दोनों ही पक्षों द्वारा स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं की गयी है। जो नजीरें पेश की गयी है, अदालत हाजा उनका सम्मान करती है, मगर इनमें आलौच्य प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 2010(1) आरआरटी 118 महत्वपूर्ण है, जिसमें यह धारित किया गया है कि अपील पेश करने के पूर्व ही रेस्पो. का देहान्त हो जाने एवं उसके विधित वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु अपील पेश करने के काफी समय बाद प्रस्तुत आवेदन के मामले में आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते मगर ऐसी अनियमितता धारा 153 व 151 सीपीसी के तहत परिशोधित की जा सकती है। अतः उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को मृतक पक्षकारान के सभी विधिक वारिसान को पक्षकारान बनाते हुए विधिवत नवीन अपील धारा 5 समय सीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र सहित एक माह की समयावधि में प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता देते हुए आलौच्य अपील खारिज की जाती है। तदनुसार अपील फैसलशुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

15/10/18

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

आदेश आज दिनांक 15 अक्तूबर 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/18

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर